

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-62/2011/ 437

दिनांक : 10/6/2011

—: संशोधित आदेश :-

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक राजपत्रित/सामान्य/प-62/2011/327 दिनांक 31.05.11 के द्वारा निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन केन्द्र के पास, जयपुर के पत्र क्रमांक F-7(10)/SIHFW-PDC/PT-II/2009-10/16016 दिनांक 29.03.11, समसंख्यक पत्र क्रमांक 446-48 दिनांक 29.04.11, 445 दिनांक 29.04.11 एवं 1126 दिनांक 25.05.11 प्राप्ति दिनांक 26.05.11 के क्रम में Professional Development Course at SIHFW द्वारा जो दिनांक 15.06.11 से 23.08.11 तक (10 सप्ताह) 70 दिनों के कोर्स में भाग लेने हेतु क्रम संख्या 12 पर अंकित डा० बलवन्त सिंह सिंधु, व०चि०अ०, सामु०स्वा० केन्द्र अनूपगढ (श्रीगंगानगर) एवं क्रम संख्या 15 पर अंकित डा० अनिल उदावत, व०चि०अ०, राजकीय चिकित्सालय तोपखाना (जयपुर) को मनोनीत किया गया था जो उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.11 के क्रम में उक्त प्रशिक्षण से उनका नाम विलोपित किया जाता है तथा उनके स्थान पर डा० प्रकाश बाखरू, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आसपुर (डूंगरपुर) का नाम उक्त प्रशिक्षण के लिए मनोनीत किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-62/2011/ 437

दिनांक : 10/6/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन केन्द्र के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F-7(10)/SIHFW-PDC/PT-II/2009-10/16016 दिनांक 29.03.11, समसंख्यक पत्रांक 446-48 दिनांक 29.04.11, 445 दिनांक 29.04.11 एवं 1226 दिनांक 25.05.11 के सन्दर्भ में।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर/जयपुर/बीकानेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर/डूंगरपुर/श्रीगंगानगर।
5. डा० बलवन्त सिंह सिंधु, व०चि०अ०, सामु०स्वा० केन्द्र अनूपगढ (श्रीगंगानगर)
6. डा० अनिल उदावत, व०चि०अ०, राजकीय चिकित्सालय तोपखाना (जयपुर)।
7. डा० प्रकाश बाखरू, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आसपुर (डूंगरपुर) को पालनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

Naresh
10/6